

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	जिल्द 77 पौष 11, गुरुवार, शाके 1947— जनवरी 1, 2026 अंक 40 Vol. 77 Pausa 11, Thursday, Saka 1947—January 1, 2026 No. 40	

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम / उपनाम / सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध—पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं.एक 1/12/एफ. डी. के. आर. 187, दिनांक 10.4-57 अनुपालना में]

इस बन्ध—पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता राधेश्याम मिरोठा (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व राधेश्याम धोबी (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो पशुपालन विभाग में पशुधन निरीक्षक (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में चिकित्सालय सॉचू जालौर (स्थान जहां से राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था, एतद्वारा :-

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम स्थान पर उसी तारीख से नाम राधेश्याम तथा उपनाम मिरोठा (MIROTHA) ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे दूर के बच्चे एतद्वारा मेरे पूर्व उपनाम धोबी (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाएं बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम मिरोठा द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतदपश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध—पत्रों प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन—देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम राधेश्याम तथा उपनाम धोबी (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में राधेश्याम नाम के रूप में तथा मिरोठा उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतदपश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम राधेश्याम उपनाम मिरोठा के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ।

इसके साक्षी मैं, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम राधेश्याम धोबी तथा राधेश्याम मिरोठा का वर्णन किया है तथा दिनांक.....को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम राधेश्याम मिरोठा द्वारा जो पूर्व में राधेश्याम धोबी कहलाता था, हस्ताक्षर किये हैं।

RADHESHYAM MIROTHA

हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. विकास स्वामी, प्रभारी नया नाम : राधेश्याम मिरोठा (RADHESHYAM MIROTHA)
राजकीय पशुचिकित्सा उप केन्द्र, पुराना नाम : राधेश्याम धोबी (RADHESHYAM DHOBI)
नारणावास (जालौर)।
2. दमाल खान, प्रभारी, राजकीय पशु चिकित्सा उप केन्द्र, चान्दा जिला जालौर (राज.)।

प्रतिहस्ताक्षर

डॉ. रमेश कुमार

पशुचिकित्सा अधिकारी

राजकीय पशुचिकित्सालय सांधु (जालौर)।

26926

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।